वित्त निर्देश 15/2013

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
केपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर

क्रमांक 22/ब-4/चार　　　　　　　　　　　　　　　रायपुर, दिनांक 05/04/2013

प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन, लोक निर्माण,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय:-निर्माण कार्य विभागों में वर्तमान साख-पत्र व्यवस्था के स्थान पर आहरण की नयी व्यवस्था लागू करने के संबंध में ।

संदर्भ:-छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग का ज्ञापन क्रमांक 78/वित्त/ब-04/चार/2012 दिनांक 28 अप्रैल 2012 ।

---00---

कोषालय संहिता खंड-1 भाग-2 के सहायक नियम 461 के अन्तर्गत निर्माण कार्य विभागों में विभाग के अधिकारी बिल तथा चेक के द्वारा निधि आहरित करने के लिये प्राधिकृत है । कोषालय संहिता खंड-1 भाग-2 के सहायक नियम 153 तथा 154 के अनुसार निर्माण कार्य विभागों द्वारा धनादेश के माध्यम से निधियों के आहरण हेतु आहरण अधिकारी के पक्ष में साख-पत्र दिये जाने की व्यवस्था है । इन नियमों के आधार पर वर्तमान में संदर्भित ज्ञापन के अनुसार साख-पत्र जारी करने की व्यवस्था लागू है ।

2. राज्य शासन द्वारा सभी कार्य विभागों के लिये ई-वर्क्स परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । अब ई-वर्क्स परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01/4/2013 से निर्माण कार्य विभागों के लिये प्रचलित वर्तमान साख-पत्र व्यवस्था को समाप्त किया जाए तथा निर्माण कार्य विभागों के बजट नियंत्रण हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जाए:-

2.1 वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त बजट आवंटन को बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (कार्यपालन यंत्रियों) को पुनर्आवंटित

कर इसकी प्रविष्टि संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के सेन्ट्रल सर्वर में करवाई जाए । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 01/एल 6-1/2013/ब-4/चार दिनांक 01/04/2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही बजट आवंटन जारी किया जाए । यह प्रक्रिया दिनांक 15/4/2013 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाए ।

2.2 उक्त आधार पर प्राप्त बजट आवंटन को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा संवितरण अधिकारियों (अनुविभागीय अधिकारी) को आवंटित किया जाए तथा इस आवंटन की प्रविष्टि विभागीय सर्वर में की जाए । अनुविभागीय अधिकारियों को दिये गये बजट आवंटन की सीमा किसी भी स्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्राप्त बजट आवंटन से अधिक नहीं होगी ।

2.3 अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा देयक पारित करते समय देयक का बजट आबंटन प्रथमतः विभागीय सर्वर में परीक्षण योग्य होगा । तत्पश्चात् सेन्ट्रल सर्वर में संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (कार्यपालन यंत्री) को दिये गये बजट आवंटन के विरूद्ध उक्त देयक का परीक्षण कर पारित किया जा सकेगा ।

2.4 बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा सेन्ट्रल सर्वर में प्रविष्टि करने हेतु दो विकल्प होंगे:-

(अ) जिन बजट नियंत्रक अधिकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की लीज लाईन है, उनके द्वारा बजट की प्रविष्टि उनके कार्यालयों से ही की जा सकेगी,

(ब) जिन बजट नियंत्रक अधिकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की लीज लाईन नहीं है, उनके द्वारा संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय के सर्वर कक्ष में यह प्रविष्टि की जा सकेगी ।

2.5 डिपाजिट मद के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यो हेतु दिनांक 01/04/2013 की स्थिति में कार्यवार प्रारंभिक शेष (Opening balance) की प्रविष्टि विभाग स्थित सर्वर में करवायी जावेगी । इस मद के अंतर्गत प्रविष्ट की गई राशि तथा लोक लेखा से सिक्यूरिटी डिपाजिट तथा अन्य कटौती की जमा राशि का आहरण भी अन्य देयकों के अनुरूप किया जा सकेगा ।

2.6 बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दिये गये बजट आवंटन में कमी/वृद्धि करने की स्थिति में प्रथमतः सेन्ट्रल सर्वर में इसकी प्रविष्टि अनिवार्य होगी। इसी प्रकार यदि पुनर्विनियोजन/अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अतिरिक्त राशि का आवंटन प्राप्त होता है तो इसकी प्रविष्टि भी प्रथमतः सेन्ट्रल सर्वर में करवायी जानी आवश्यक होगी ।

3. ई-वर्क्स के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये देयक का चेक मुद्रण संपूर्ण लेखा वर्गीकरण एवं प्रस्तावित व्यय को कम्प्यूटर सर्वर में फीड किये जाने पर स्वतः कम्प्यूटर जनित

होगा । कोई भी देयक बिना लेखा वर्गीकरण एवं बिना बजट आवंटन के पारित नहीं किया जा सकेगा । आहरण एवं संवितरण अधिकरी जारी किए गए चेक के साथ लेखा वर्गीकरण से संबंधित एडवाइज भी बैंक को भेजेंगे, जिसके आधार पर बैंकों द्वारा चेक का भुगतान किया जाएगा ।

(डी.एस.मिश्र)
अपर मुख्य सचिव
छ.ग. शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन कमांक 23/ब-4/चार रायपुर, दिनांक 05/04/2013

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर,
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

5/4/13
(सी.जे. खत्री)
संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन, वित्त विभाग